कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्री सगराम चौधरी, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, धन्नारी कल्लां–बावडी, जोधपुर ने स्थानान्तरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–1678/2021 सगराम चौधरी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की है। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक–27.01.2021 में याचिकार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष सभी तथ्यों का समावेश करते हुए एवं वेदनाओं के आधार पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को सक्षम अधिकारी द्वारा चार सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के ब्रेन ट्यूमर से पीडित तथा एम्स नई दिल्ली में दिनांक–29.10.2016 को ऑपरेशन होने एवं वृद्ध माता–पिता एवं पदस्थापित स्थान निवास स्थान एवं मुख्य सडक से दूर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि, बावडी, जोधपुर में प्राध्यापक(हिन्दी साहित्य) के रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। याचिकार्थी का पदस्थापन जोधपुर जिले में ही है, किसी अन्य जिले में नहीं। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मदद्देनजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा याचिकार्थी के किये गये पदस्थापन में सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। याचिकार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर अन्य कार्मिक कार्यरत होने के कारण पद रिक्त नहीं है। अतः उक्त आधार पर याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./सगराम चौधरी/1678/2021/24 दिनांक– 8-2-2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर